सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 13, शुक्रवार, शाके 1944-जून 3, 2022 Jyaistha 13, Friday , Saka 1944- June 3, 2022	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 27, 2022

संख्या प.4(14) कृषि/ग्रुप-2/2019 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जारी की गई अधिसूचना क्रमांक प.4(14) कृषि/ग्रुप-2/2019 जयपुर, दिनांक 03.02.2020 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर के क्षेत्र में से पंचायत समिति श्रीकोलायत (कृषि उपज मण्डी समिति बज्जू के मण्डी क्षेत्र में अवस्थित 24 ग्रामो- बीकमपुर, बरसलपुर, भूरासर, राववाला, बांगडसर, 6-8 एम, सन्तोषनगर, बज्जू खालसा, माणकासर, मिठाडिया, भलूरी, रणजीतपुरा, गज्जेवाला, चारणवाला, फूलासर बडा, नगरासर, सेवडा, गोकुल, जगासर, गौडू, गोगडियावाला, गडियाला, गिजिराजसर, देवडों की ढाणी एवं बीठनोक को छोडकर) पंचायत समिति श्रीकोलायत का क्षेत्र, के अतिरिक्त बीकानेर-जोधपुर एवं बीकानेर-सूरतगढ रेल्वे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित नगर निगम के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) पूगल रोड, बीकानेर के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा की गई थी।

उपरोक्त धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर निर्णयोपरान्त अब उक्त अधिनियम की धारा 4(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर के क्षेत्र में से पंचायत समिति, कोलायत की 6 ग्राम पंचायतों- गडियाला, गिरीराजसर, देवडों की ढाणी, बीठनोक, शिम्भू का बुर्ज व पेथडो की ढाणी के क्षेत्र को छोडकर- कोलायात पंचायत समिति का समस्त क्षेत्र, बीकानेर पंचायत समिति में राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 62 (नागौर रोड) तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग सख्यां 11 (जैसलमेर रोड) के मध्य अवस्थित 8 ग्राम पंचायतों - मेघासर, कोलासर, बच्छासर, उदयरामसर, स्वरूपदेसर, पलाना, लालमदेसर एवं बरसिहंसर का समस्त क्षेत्र, नगर निगम बीकानेर के क्षेत्र में बीकानेर-सूरतगढ एवं बीकानेर-जोधपुर रेल्वे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित समस्त क्षेत्र तथा नगर पालिका देशनोक के समस्त क्षेत्र को पृथक करने की घोषणा करती है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार घोषणा करती है कि राजस्थान राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के संबंध में पंचायत समिति, कोलायत की 6 ग्राम पंचायतों- गडियाला, गिरीराजसर, देवडों की ढाणी, बीठनोक, शिम्भू का बुर्ज व पेथडो की ढाणी के क्षेत्र को कोलायात पंचायत समिति का समस्त क्षेत्र, बीकानेर पंचायत समिति में राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 62 (नागौर रोड) तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग सख्यां 11 (जैसलमेर रोड) के मध्य अवस्थित 8 ग्राम पंचायतों - मेघासर,

कोलासर, बच्छासर, उदयरामसर, स्वरूपदेसर, पलाना, लालमदेसर एवं बरसिहंसर का समस्त क्षेत्र, नगर निगम बीकानेर के क्षेत्र में बीकानेर-सूरतगढ एवं बीकानेर-जोधपुर रेल्वे लाईन की पश्चिमी दिशा की ओर अवस्थित समस्त क्षेत्र तथा नगर पालिका देशनोक का शेष समस्त क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति, पूगलरोड का मण्डी क्षेत्र होगा।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजो के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, पूगलरोड का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को "ब" श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से कृषि उपज मण्डी समिति, पूगलरोड को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण राजस्व मण्डी समिति, पूगलरोड के प्रथम बोर्ड के गठन होने तक कृषि उपज मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर में पूर्ववत् जमा होगा तथा मण्डी समिति पूगलरोड के प्रथम बोर्ड गठन होने के पश्चात उक्त जमा राशि मण्डी समिति, (अनाज) बीकानेर द्वारा मण्डी समिति पूगलरोड को स्थानान्तरित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।